I J C R M

International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Review Article

पाकिस्तानी आधिपत्य में गिलगित-बाल्टिस्तान: वर्तमान भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति

डॉ. अमित त्रिपाठी[1*], प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा[2], ज्योति वर्मा[3]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, ए.एन.डी.के.पी.जी. कॉलेज, गोण्डा, उत्तर प्रदेश, भारत

[2]प्रोफेसर एवं पूर्व विभागाध्यक्ष, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन, डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत

[3]शोधार्थी, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन, डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: * डॉ. अमित त्रिपाठी

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14562779

सारांश

जम्मू एवं कश्मीर रियासत का अभिन्न अंग रहा गिलगित-बाल्टिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान के आधिपत्य में है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से गिलगित-बाल्टिस्तान पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर से छह गुना बड़ा है। राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र की चर्चा प्राय: कम हुई जबकि सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर रियासत में गितगित-बाल्टिस्तान की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोधपत्र में पाकिस्तानी आधिपत्य में मौजूद इस क्षेत्र की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 16-09-2024
- **Accepted:** 17-10-2024
- **Published:** 27-12-2024
- **IJCRM:**3(6); 2024: 171-174
- **©2024, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Manuscript

अमित त्रिपाठी, हर्ष कुमार सिन्हा, ज्योति वर्मा. पाकिस्तानी आधिपत्य में गिलगित-बाल्टिस्तान: वर्तमान भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति. International Journal of Contemporary Research in Multidisciplinary.2024; 3(6): 171-174.

मुख्य शब्द: गिलगित-बाल्टिस्तान (G-B), पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POJK)

1. प्रस्तावना

गिलगित-बाल्टिस्तान काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा है। 1947 में भारत आजाद हुआ, जम्मू-कश्मीर के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में दोनों देश संघर्ष विराम को सहमत हुए लेकिन तत्कालीन जम्मू-कश्मीर के एक बड़े भू-भाग पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। तभी से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POJK) के साथ ही एकीकृत जम्मू-कश्मीर रियासत का अंग रहा गिलगित-बाल्टिस्तान भी गुलामी झेलने को अभिशप्त है। 1947 से लेकर अब तक गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना, आई.एस.आई. और वहां के भ्रष्ट हुक्मरानों की मनमानी, अत्याचार और शोषण का सामना कर रहे हैं। ये क्षेत्र खनिज संसाधनों से सम्पन्न है, यहां पनबिजली उत्पादन की असीम संभावनायें हैं। कुदरत के अनुपम सौंदर्य से आच्छादित ये इलाका एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। इन सभी तथ्यों के बावजूद गिलगित-बाल्टिस्तान की जनता कुशासन, अराजकता, गरीबी और बदहाली में जीवन गुजार रही

© 2024 डॉ. अमित त्रिपाठी, प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा, ज्योति वर्मा. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

है। प्रस्तुत शोधपत्र में, गिलगित-बाल्टिस्तान की वर्तमान भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

गिलगित-बाल्टिस्तान का संक्षिप्त इतिहास

गिलगित-बाल्टिस्तान जम्मू-कश्मीर रियासत का हिस्सा था। जब 26 अक्टूबर, 1947 को महाराजा हरि सिंह ने पूरी जम्मू-कश्मीर रियासत का भारत में विलय किया तो रियासत के अन्य सभी क्षेत्रों के साथ ही गिलगित-बाल्टिस्तान भी कानूनी तौर पर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। इससे पहले ही कबायली घुसपैठियों को आगे करके पाकिस्तानी सेना भारत पर हमला कर चुकी थी। कबाइली घुसपैठ की आड़ में ही 4 नवंबर, 1947 को गिलगित स्काउट के ब्रिटिश कमांडर मेजर ब्राउन ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाये जाने की अवैध घोषणा की थी।[1] जब युद्धविराम हुआ तो जम्मू-कश्मीर रियासत के एक बहुत बड़े भू-भाग पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है। वर्ष 1970 में पाकिस्तान सरकार ने पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों, जिनमें गिलगित एजेंसी, बाल्टिस्तान जिला और हुंजा व नगर आदि छोटी रियासतें शामिल थीं, को मिलाकर "उत्तरी क्षेत्र" नामक एक अलग प्रशासनिक ईकाई का गठन किया था। वर्ष 2009 में इसी उत्तरी क्षेत्र का नाम बदलकर "गिलगित-बाल्टिस्तान" कर दिया गया।[2]

गिलगित-बाल्टिस्तान की वर्तमान भौगोलिक स्थिति

भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से गिलगित-बाल्टिस्तान पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर से छह गुना बड़ा है। इसका वर्तमान क्षेत्रफल 72,971 वर्ग किमी. है।[3] इसकी राजधानी गिलगित है। गिलगित-बाल्टिस्तान की सीमा पश्चिम में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, उत्तर में अफगानिस्तान के वखान गलियारे, उत्तर-पूर्व में चीन के झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र से, दक्षिण-पूर्व में भारतीय हिस्से वाले केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से और दक्षिण में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से मिलती है। जी-बी की सीमायें तिब्बत को भी स्पर्श करती हैं।

ऊंचे पर्वतों से घिरा है गिलगित-बाल्टिस्तान-

गिलगित-बाल्टिस्तान का ज्यादातार हिस्सा पर्वतीय है। ये क्षेत्र दुनिया की कुछ सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का घर है। प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ काराकोरम और पश्चिमी हिमालय हैं। पामीर उत्तर में हैं और हिंदूकुश पश्चिम में स्थित है। यहां 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 पर्वत चोटियां हैं जबकि 7000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली पर्वत चोटियों की संख्या 50 से अधिक है।[4] सबसे ऊँचे पर्वतों में K2 (माउंट गॉडविन-ऑस्टिन) और नंगा पर्वत हैं। नंगा पर्वत दुनिया के सबसे डरावने पहाड़ों में से एक है।

काराकोरम हाईवे महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग -

1978 से पहले तक गिलगित-बाल्टिस्तान दुर्गम इलाकों और अच्छी सड़कों की कमी के कारण दुनिया से कटा हुआ था। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली सभी सड़कें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर जाती थीं। वहीं दक्षिण-पूर्व की ओर ओर जाने वाली सभी सड़कें भारतीय जम्मू-कश्मीर की ओर आती हैं। पाकिस्तान के कब्जा करने के बाद गर्मियों में यहां के लोग रावलपिंडी जाने के लिए पहाड़ी दर्रों को पैदल पार कर जाते थे। चीन की मदद से बने काराकोरम हाईवे को यातायात के लिए 1978 में खोल दिया गया। काराकोरम राजमार्ग इस्लामाबाद को गिलगित और स्कर्दू से जोड़ता है। गिलगित और स्कर्दू ही गिलगित-बाल्टिस्तान में पर्वतारोहण अभियानों के लिए दो प्रमुख केंद्र हैं।[5]

तीन डिवीजन और चौदह जिलों में विभाजित -

गिलगित-बाल्टिस्तान को प्रशासनिक दृष्टिकोण से बाल्टिस्तान, गिलगित और दियामेर नामक तीन डिवीजन में बांटा गया है। इनमें से बाल्टिस्तान डिवीजन में पांच जिले, गिलगित डिवीजन में पांच जिले और दियामेर डिवीजन में चार जिले शामिल हैं। इस प्रकार जी-बी कुल चौदह जिलों में विभाजित है। ये चौदह जिले हैं – **घांचे, शिगार, खरमांग, स्कर्दू, रॉउंदू, गिलगित, घिजर, हुंजा, नागर, गुपिस-यासीन, दियामेर, अस्टोर, दारेल, टांगीर।**[6]

'शक्सगाम घाटी' को पाकिस्तान ने गैर-कानूनी रूप से चीन को सौंपा

भारत-चीन युद्ध के बाद चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 में एक समझौता हुआ जिसे "चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता" के नाम से जाना जाता है। इस समझौते का उद्देश्य कश्मीर क्षेत्र, जो पूरी तरह भारत का हिस्सा है, में चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को तय करना था। 1963 के इसी समझौते के तहत पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने अक्साई चिन की शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया। शक्सगाम घाटी या ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर (POJK) के हुंजा-गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है। यह भारत की भूमि है। इसलिये भारत इस समझौते को वैध नहीं मानता। चीन को ट्रांसफर किया गया भारतीय क्षेत्र लगभग 5180 वर्ग किमी. में विस्तृत है। [7]

गिलगित-बाल्टिस्तान की वर्तमान धार्मिक एवं भाषायी स्थिति

गिलगित-बाल्टिस्तान की आबादी पूरी तरह से मुस्लिम है। सुन्नी बहुसंख्यक पाकिस्तान शिया मुसलमानों की बहुसंख्या वाले इस क्षेत्र में जनसांख्यिकीय बदलाव करने की कोशिशें लंबे समय से कर रहा है। इसकी शुरुआत जनरल जिया उल हक ने ईरान में इस्लामिक क्रांति (1979) के बाद की थी। शिया समुदाय में अपने धार्मिक अधिकारों को लेकर बढ़ती जागरुकता से घबराये जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान के अन्य प्रांतों और केंद्र प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों से सुन्नी मुसलमानों को लाकर यहां बसाने का सिलसिला शुरु किया। वर्ष 1988 में पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान की शह पर सुन्नी आतंकवादियों ने गिलगित में शियाओं का बर्बर नरसंहार किया था। इस नरसंहार के पीछे तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति और सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक और आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का हाथ था।[8]

गिलगित-बाल्टिस्तान की आबादी में विविध भाषायी और जातीय संप्रदाय शामिल हैं। कुछ हद तक इसका कारण दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों द्वारा अलग की गई कई पृथक घाटियां हैं। **यहां निवास करने वाले जातीय समूहों में शिन्स, यशकुन, कश्मीरी, काशगरी, पामीरी, पठान और कोहिस्तानी शामिल हैं।** गिलगित-बाल्टिस्तान एक बहुभाषी क्षेत्र है। उर्दू अंतरजातीय संचार के लिए आम भाषा के रूप में कार्य करती है। अंग्रेजी का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों और शिक्षा क्षेत्र में किया जाता है। अरबी धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लायी जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत सी स्थानीय भाषायें भी हैं जिनका प्रयोग गिलगित-बाल्टिस्तान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में किया जाता है।

© 2024 डॉ. अमित त्रिपाठी, प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा, ज्योति वर्मा. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

स्थानीय भाषाओं में प्रमुख हैं- शिना, बाल्टी, ब्रुशास्की, खोवर, डोमाकी, कोहिस्तानी, काशगरी, गोजारी एवं वाखी आदि।[9]

गिलगित-बाल्टिस्तान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति

पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 से ही गिलगित बाल्टिस्तान पर जबरन कब्जा कर रखा है। इसके बावजूद, आज भी गिलगित-बाल्टिस्तान को औपचारिक रूप से पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया है और न ही इस क्षेत्र के लोगों की पाकिस्तान के संवैधानिक मामलों में कोई भूमिका है। वास्तव में इस क्षेत्र के लोग 70 से अधिक वर्षों से संवैधानिक शून्य में रह रहे हैं। उन्हें न तो भारतीय संसद और न ही पाकिस्तान की संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। उन्हें स्थानीय विधानसभा के लिए अनिवार्य संवैधानिक दर्जा भी पाकिस्तान द्वारा नहीं दिया गया है।

गिलगित-बाल्टिस्तान सशक्तीकरण और स्वशासन आदेश (2009)

इस सन्दर्भ में पाकिस्तान सरकार द्वारा 29 अगस्त, 2009 को की गई घोषणा महत्वपूर्ण है। इस तारीख को "गिलगित-बाल्टिस्तान सशक्तीकरण और स्वशासन आदेश 2009" का ऐलान किया गया। 9 सितंबर 2009 को आधिकारिक रूप से प्रकाशित इस आदेश में गिलगित-बाल्टिस्तान से सम्बन्धित 1970, 1975 और 1994 के पिछले सुधारों पर आधारित नये प्रशासनिक, राजनीतिक, वित्तीय और न्यायिक सुधार पेश किए गये। 2009 के आदेश ने गिलगित-बाल्टिस्तान के लिए शासन की निम्नलिखित प्रणाली स्थापित की-[10]

- **एक गिलगित-बाल्टिस्तान परिषद;**
- **एक विधान सभा**
- **सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री (विधान सभा द्वारा बहुमत से अपने सदस्यों में से चुने गए) और मंत्री शामिल हैं**
- **एक राज्यपाल, जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।**

पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।

2009 में पहली बार हुए चुनाव-

गिलगित-बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा करने वाली पाकिस्तान सरकार ने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से यहां एक निर्वाचित विधान सभा और गिलगित-बाल्टिस्तान परिषद बनाकर स्थानीय लोगों को स्व-शासन प्रदान करने का आडम्बर किया। वर्ष 2009 में पहली बार यहां चुनाव हुए। हालांकि चुनावों की ये पूरी प्रक्रिया महज दिखावा ही थी। संवैधानिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा बने बिना ही गिलगित-बाल्टिस्तान को एक वास्तविक प्रांत जैसा दर्जा देने की कोशिश की गई जो वस्तुत: छलावा से ज्यादा कुछ नहीं। वास्तव में आज भी गिलगित-बाल्टिस्तान न तो पाकिस्तान का एक प्रांत है और न ही केंद्र शासित क्षेत्र है।[11] इसे अर्ध-प्रांतीय दर्जा दिया गया है। वस्तुत: पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा हस्ताक्षरित स्व-शासन आदेश के माध्यम से इस क्षेत्र को सीमित स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य कथित तौर पर क्षेत्र के लोगों को सशक्त बनाना था। हालांकि, आज भी वास्तविक शक्ति पाकिस्तान सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पास है, न कि जनता द्वारा चुने गये मुख्यमंत्री या निर्वाचित विधानसभा के पास।

संविधान और कानून की बजाय मनमाने कार्यकारी आदेशों से शासन-

गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तानी कब्जे को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कार्यकारी आदेशों का उपयोग करने का एक लंबा इतिहास रहा है। स्थानीय संसाधनों को बिना किसी उचित प्रक्रिया या मुआवजे के हड़पने के लिए कार्यकारी आदेश नियमित रूप से जारी किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का सीधा उल्लंघन करते हुए क्षेत्र में सैन्य चौकियाँ तैनात करने के लिए भी किया जाता है।

गिलगित-बाल्टिस्तान के लिए अलग न्यायालय

1972 से पहले गिलगित-बाल्टिस्तान में कोई नियमित न्यायालय काम नहीं कर रहा था। 1972 में पाकिस्तान के कश्मीर मामलों के मंत्रालय द्वारा, कार्यकारी आदेशों के तहत, पाकिस्तान के कानून गिलगित-बाल्टिस्तान में लागू करते हुए सिविल न्यायालय स्थापित किए गए।[12] वर्तमान में गिलगित-बाल्टिस्तान में शीर्ष न्यायिक संस्थाओं के नाम पर चीफ कोर्ट और सुप्रीम अपीलीय न्यायालय, यही दो संस्थायें मौजूद हैं। चीफ कोर्ट की स्थिति पाकिस्तानी हाईकोर्ट के समान बतायी जाती है। सुप्रीम अपीलीय न्यायालय, गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में अपील की सर्वोच्च अदालत है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये दोनों प्रकार के न्यायालय 2009 में गिलगित-बाल्टिस्तान (सशक्तिकरण और स्वशासन आदेश) 2009 के माध्यम से स्थापित किये गये थे। संवैधानिक आधार की कमी के कारण, ये न्यायालय, निष्पक्ष कानूनों के आधार पर नहीं बल्कि पक्षपाती राजनीतिक उद्देश्यों के आधार पर फैसले देते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि सुप्रीम अपीलीय न्यायालय और चीफ कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा नहीं की जाती। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सीधी और अहम भूमिका है।[13]

गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग-

पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। आज भी ये क्षेत्र संवैधानिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। परंपरागत रूप से, पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान के साथ एकीकरण के गिलगित-बाल्टिस्तानी आह्वान को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इससे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार पूरे कश्मीर मुद्दे को हल करने की उसकी मांग खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी ओर, भारत सरकार का स्पष्ट मत है कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर रियासत का हिस्सा होने की वजह से गिलगित-बाल्टिस्तान का क्षेत्र भारतीय गणराज्य का अभिन्न अंग है।[14]

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि गिलगित-बाल्टिस्तान दक्षिण एशिया के सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। ऊंचे पहाड़ों से घिरे और विकास से महरूम इस क्षेत्र में पर्यटन और बिजली उत्पादन की असीम संभावनायें मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे में होने की वजह से गिलगत-बाल्टिस्तान में न तो सच्चे लोकतंत्र की दस्तक हो सकी और न ही लोककल्याण के कार्य हो सके हैं। भारत का ये क्षेत्र राजनीतिक संस्थाओं के उद्भव को देख ही नहीं सका। यहां की

© 2024 डॉ. अमित त्रिपाठी, प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा, ज्योति वर्मा. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

जनता पाकिस्तानी सेना की गुलामी में जीने को अभिशप्त है। मनमाने तरीकों से पाकिस्तान की सरकार इस क्षेत्र के लोगों पर लगातार अत्याचार कर रही है जिसका स्थानीय जनता कई बार उग्र विरोध भी करती है। गिलगित-बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो शिया बहुल है। सुन्नी बहुल पाकिस्तान की सरकार को जी-बी का ये धार्मिक चरित्र भी मंजूर नहीं, इसलिये लंबे समय से वहां सुन्नी मुसलमानों को बसाने के प्रयास चल रहे हैं। इस तरह, शियाओं को उनके अपने घर में ही अल्पसंख्यक बनाने की साजिश को अमलीजामा पहनाने में पाकिस्तान के हुक्मरान लगे हुए हैं। वस्तुस्थिति तो ये है कि संवैधानिक रूप से गिलगित-बाल्टिस्तान आज भी पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत का हिस्सा है। भारत की संसद और सरकार के विभिन्न प्रतिनिधियों ने समय-समय पर इस बात को स्पष्ट किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान जोर-जबरदस्ती इस क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाये रखना चाहता है।

सुझाव

संवैधानिक एवं कानूनी रूप से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा हैं। 5300 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैली शक्सगाम घाटी भी भारतीय भू-भाग का अंग है। भारत सरकार को इन सभी क्षेत्रों को पाकिस्तानी व चीनी कब्जे से मुक्त कराने के लिए कूटनीतिक, राजनीतिक एवं सैन्य विकल्पों को अमल में लाने के प्रयास करने चाहिये।

संदर्भ:

1. Bansal A. Gilgit Baltistan Ek Mulyankan. In: Jammu Kashmir: Itihas aur Vartman. 1st ed. New Delhi: Jammu Kashmir Study Centre; 2016. p. 81-118.
2. Bhattacharjee D. Gilgit Baltistan, China and Pakistan [Internet]. ICWA; 2015 Jun 3. Available from: https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=5108&lid=830
3. Embassy of Pakistan, Athens. Gilgit-Baltistan [Internet]. Available from: https://www.pakistanembassy.gr/gilgit-baltistan
4. Ibid.
5. Gilgit Adventure Treks. About Gilgit Baltistan: The essence of nature [Internet]. Available from: http://www.gilgitadventuretreks.com.pk/gilgit-baltistan.html
6. Pakistan Information. Districts of Gilgit Baltistan [Internet]. Available from: http://www.pakinformation.com/gilgit-baltistan/district.html
7. Gupta S. Indian Army to assess implications of Chinese construction in Shaksgam valley [Internet]. 2024 May 3. Available from: https://www.hindustantimes.com/india-news/indian-army-to-assess-implications-of-chinese-construction-in-shaksgam-valley-101714713691991.html
8. Raman B. The Karachi Attack: The Kashmir Link [Internet]. 2003 Feb 26. Available from: https://www.rediff.com/news/2003/feb/26raman.htm
9. Balti A. Regional Languages of Gilgit Baltistan [Internet]. 2022 Nov 7. Available from: https://balti.pk/languages-gilgit-baltistan/
10. Bhattacharjee D. Gilgit Baltistan, China and Pakistan [Internet]. ICWA; 2015 Jun 3. Available from: https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=5108&lid=830
11. Dawn News. Asma questions rationale of military courts in Gilgit-Baltistan [Internet]. 2015. Available from: https://www.dawn.com/news/1157110
12. Gilgit Baltistan Chief Court. GB District Judiciary [Internet]. Available from: https://www.gbcc.gov.pk/DistrictJudiciary.aspx
13. Tribune News. SC bars PM from appointing judges in G-B [Internet]. 2023. Available from: https://tribune.com.pk/story/2403908/sc-bars-pm-from-appointing-judges-in-g-b
14. Subramanian N. Explained: Here's why Gilgit-Baltistan matters to India & Pakistan [Internet]. 2021 Aug 7. Available from: https://indianexpress.com/article/explained/why-gilgit-baltistan-matters-to-india-and-pakistan-7435353/

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2024 डॉ. अमित त्रिपाठी, प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा, ज्योति वर्मा. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/